



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, नौवी मंजिल, 'डी' ब्लॉक, आयकर शिखर,
Office of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, 9th floor, 'D' Block, IT Towers,
ए.सी. गार्डस, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
AC Guards, Hyderabad, Andhra Pradesh.

फा.सं./प्रमुआआ/हैद./राभा/3/तिप्ररि/2021-22.

दिनांक/Date: 24.12..2021.

सेवा में /To

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद के अधीन कार्यरत सभी अनुभाग ।
(स्थापना/ कल्याण/ सतर्कता/ तकनीकी/ लेखा/ विधि/ अभियोजन/ परीक्षा/ कंप्यूटर/ वित्त/ आधारभूत
संरचना/ जन संपर्क/ एम.एस.टी.यू.)

All Section Heads of Offices working under O/o Pr.CCIT, Hyderabad
(Establishment/ Welfare/ Vigilance/ Technical/ Accounts/ Legal/ Prosecution/ Exam./
Computer/ Infrastructure/ Public Relation/ MSTU/ Finance/)

महोदय/महोदया,

विषय : हिन्दी की प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट- के संबंध में ।

Sub : Quarterly Progress Report regarding progressive use of Hindi-reg.

उपर्युक्त विषय पर यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक तिमाही में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्मा में भेजें । अतः आपसे अनुरोध है कि अक्टूबर-दिसंबर, 2021 (01 अक्टूबर, 2021 से 31 दिसंबर 2021) तिमाही की रिपोर्ट को 05.01.2022 तक या उससे पहले भेजें ताकि समेकित रिपोर्ट को समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

On the above subject, I am directed to inform you that in each quarter, Quarterly Progress Report of the official language should be sent in the enclosed Proforma. Therefore, you are requested to send the October-December, 21 Quarterly Progress Report for the quarter (01st October- to 31st December 2021) on or before 05th January, 2022, so that the consolidated report could be sent in time to Central Board of Direct Taxes, New Delhi.

संलग्नक: तिमाही प्रगति रिपोर्ट का

प्रोफार्मा की प्रति

Encl : Copy of the proforma of
Quarterly Progress Report

भवदीय/Yours faithfully

(सुनील कुमार विभूते / Sunil Kumar Vibhute)
सहायक निदेशक (राजभाषा/ Assistant Director(OL)
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद
O/o Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad

हिंदी की प्रगामी प्रगति संबंधी आंतरिक तिमाही प्रगति रिपोर्ट
INTERNAL QUARTERLY PROGRESS REPORT REGARDING PROGRESSIVE USE OF HINDI

अनुभाग का नाम/Name of the Section :

समाप्त तिमाही/ Quarter ending :

कृपया 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करें।

Kindly furnish the details under the following heads of the quarter ending 30th June, 30th September, 31st December & 31 March.

1. धारा 3(3) का अनुपालन/ Compliance of Section 3(3):

<p>अ) धारा 3(3) के अंतर्गत कार्यालय द्वारा जारी कागजात जिन्हें द्विभाषिक रूप में जारी करना अनिवार्य है जैसे हिंदी एवं अंग्रेज़ी।</p> <p>a) Documents to be compulsorily issued bilingually by the Office under Section 3(3) i.e. Hindi and English.</p> <p>जैसे - संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के सदनों के समक्ष रखी जाने वाली रिपोर्टें, सरकारी कागज-पत्र, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापन, टेंडर नोटिस, टेंडर फार्म।</p> <p>i.e. Resolution, General Orders, Rule, Notifications, Administrative and other reports, Press Communique, Papers laid before parliament, Government Documents, Contracts, Agreements, Licence, Permit Authorization, Tender Notice, Tender Form</p>	<p>द्विभाषी रूप में In Bilingual</p>	<p>अंग्रेज़ी में In English</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

2. राजभाषा नियम - 5 का अनुपालन/ Compliance of Rule - 5 of OL Policy:

I) हिंदी/द्विभाषी में प्राप्त पत्रों की संख्या No. of letters received in Hindi/bilingual	:	
II) जिसका उत्तर अंग्रेज़ी में दिया गया (प्राप्त पत्रों में से) No. of letters replied in English (out of I)	:	

3.* भेजे गए पत्रों की संख्या/ Total No. of letters sent

	हिंदी/द्विभाषी में In Hindi/ Bilingual	केवल अंग्रेजी में Only in English	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या/ Total No. of letters issued	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत / Percentage of letters issued in Hindi/ Bilingual
	1	2	3	4
क' क्षेत्र को To Region 'A'				
'ख'क्षेत्र को To Region 'B'				
'ग'क्षेत्र को To Region 'C'				

Region A – Delhi, Haryana, Rajasthan, MP, UP, Bihar, Uttarkhand, Jharkhand, Chattisgarh, HP, Andaman & Nicobar Islands
Region B – Punjab, Gujarat, Maharashtra & Chandigarh (UT) and Region C - States other than A & B

4. फाइलों पर हिन्दी में कार्य :

(क) तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियों की संख्या/

No. of notings written during the quarter

(ख) हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या/

No. of notings written in Hindi

(ग) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या/

No. of notings written in English

तारीख:

Date :

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर
Signature of the Section Head